छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 492005

क्रमांक 13835 /छ.ग.वि.स./स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/11/2026

//सहायक ग्रेड-03 के पदों पर भर्ती हेतु चयन पर विचार के लिए अर्ह एवं अनर्ह अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित करने बाबत् सूचना//

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड-03 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी मूल विज्ञापन क्रमांक 3486/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 07.03.2019 तथा उक्त विज्ञापन की निरंतरता में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 10791/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 22.10.2019 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा (हिंदी टाइपिंग टेस्ट) की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 17.02.2026 एवं 18.02.2026 को किया गया।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विभागीय चयन समिति द्वारा विज्ञापन में निर्धारित शर्तों, भर्ती हेतु लागू नियमों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित निर्देशों एवं परिपत्रों, लागू आरक्षण प्रावधानों तथा स्वीकृत आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किए जाने के उपरांत चयन पर विचार हेतु पात्र/अपात्र (अर्ह एवं अनर्ह) अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण भी उक्त प्रावधानों, उपलब्ध अभिलेखों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्णय के अनुरूप किया जावेगा।

संबंधित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड प्रारंभिक सूची में अंकित अर्हता /अनर्हता की स्थिति का अवलोकन कर, अनर्हता के उल्लेखित कारण के परिप्रेक्ष्य में आपत्ति के निराकरण हेतु संलग्न दावा-आपत्ति के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ तथा यदि आवश्यक हो, तो शासन के जारी निर्देशों की प्रति एवं संलग्न निर्धारित घोषणा पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षरित करते हुए निम्नानुसार उल्लेखित छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अधिकृत ई-मेल पते पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता/सकती है :-

विवरण	जानकारी
दावा-आपत्ति भेजने हेतु अधिकृत ई-मेल पता	cgvsonline@gmail.com
दावा-आपत्ति प्रारंभ होने की तिथि	07 नवम्बर, 2026
दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21 नवम्बर, 2026
दावा-आपत्ति का विषय (ई-मेल Subject)	AG-3 दावा-आपत्ति आवेदन क्रमांक - अभ्यर्थी का पूरा नाम -

ई-मेल के माध्यम से दावा आपत्ति प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश

1. विज्ञापन की प्रति छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित समस्त नियमों, शर्तों एवं निर्धारित अर्हताओं का भली-भांति अवलोकन कर लें।

2. अभ्यर्थी ई-मेल प्रेषित करने के पश्चात् अपने ई-मेल के Sent Folder में जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि ई-मेल तथा उसके साथ संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेज सफलतापूर्वक प्रेषित हुए हैं। केवल ई-मेल प्रेषित कर देना दावा-आपत्ति की प्राप्ति अथवा उसकी स्वीकृति का प्रमाण नहीं माना जावेगा अर्थात् अभ्यर्थी की ओर से ई-मेल प्रेषण प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटि होने तथा उक्त ई-मेल एवं संलग्न दस्तावेज सचिवालय को निर्धारित समयावधि तक प्राप्त नहीं होने हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. सचिवालय द्वारा सहायक ग्रेड-03 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी मूल विज्ञापन क्रमांक 3486/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 07.03.2019 (आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि 07.03.2019) की निरंतरता में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 10791/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 22.10.2019 (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.11.2019) के परिप्रेक्ष्य में, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय प्रमाण-पत्र की निर्धारित कट-ऑफ अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा **दिनांक 07.03.2016 से 06.11.2019 तक** निर्धारित की गई है।

4. अभ्यर्थी निर्धारित दावा-आपत्ति प्रारूप में समस्त आवश्यक विवरण स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से अंकित करें।

5. दावा-आपत्ति प्रारूप पर अभ्यर्थी स्वयं हस्ताक्षर करें तथा हस्ताक्षरित प्रारूप की स्पष्ट एवं पठनीय स्कैन प्रति PDF प्रारूप में संलग्न करें।

6. दावा-आपत्ति के समर्थन में संबंधित **दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों की स्पष्ट, पठनीय एवं स्वप्रमाणित प्रतियाँ (PDF फाईल के रूप में) संलग्न** की जावे। संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की काट-छाँट अथवा अस्पष्टता न हो, जिससे अंकित विवरणों का परीक्षण करने में कठिनाई हो।

7. ई-मेल के विषय (Subject) में सहायक ग्रेड-03 भर्ती हेतु दावा आपत्ति, आवेदन क्रमांक एवं अभ्यर्थी का पूरा नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रत्येक संलग्न फाईल का नाम इस प्रकार रखा जावे, कि उसमें आवेदन क्रमांक एवं संबंधित दस्तावेज का नाम स्पष्ट हो।

8. दावा-आपत्ति में संबंधित त्रुटि अथवा अभिलेखीय विसंगति, उसके आधार तथा अपेक्षित सुधार का स्पष्ट विवरण दिया जावे। आवश्यकता होने पर दावा-आपत्ति के समर्थन में अतिरिक्त पृष्ठ एवं संबंधित अभिलेख संलग्न किए जा सकते हैं।

9. दावा-आपत्ति केवल अभ्यर्थी के स्वयं के प्रकरण में अंकित स्थिति, पात्रता निर्धारण अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों/अभिलेखों से संबंधित तथ्यात्मक त्रुटि या विसंगति के संबंध में प्रस्तुत की जा सकेगी। अन्य अभ्यर्थियों के प्रकरणों से संबंधित आपत्तियों पर इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार नहीं किया जावेगा।

10. दावा-आपत्ति निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित ई-मेल पते पर तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जावे। **नियत दिनाँक एवं निर्धारित समय-सीमा पश्चात् तथा अन्य माध्यम (ई-मेल के अतिरिक्त) से प्राप्त दावा-आपत्ति इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकार/विचार नहीं किए जावेंगे।**

11. प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण विज्ञापन में निर्धारित शर्तों, भर्ती के लिए लागू नियमों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित निर्देशों एवं परिपत्रों, लागू आरक्षण प्रावधानों तथा स्वीकृत आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेखों, विज्ञापन की कंडिका-13 के तहत सक्षम प्राधिकारी/सचिवालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा विभागीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप किया जावेगा। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने मात्र से चयन की पात्रता का कोई अधिकार स्वमेव उत्पन्न नहीं होगा।

12. प्राप्त दावा-आपत्ति के विभागीय चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत सहायक ग्रेड-03 पद के चयन पर विचार हेतु अंतिम रूप से मान्य अर्ह/अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट WWW.cgvidhansabha.gov.in पर अपलोड की जावेगी, जिसका अवलोकन समस्त संबंधित अभ्यर्थी कर सकते हैं।

13. अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 06 की शर्तों के अनुसार वांछित दस्तावेज का प्रस्तुत किए जाने अर्थात् वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मेरिट आधार पर तैयार की गयी सूची के नाम हो, को प्रमाण-पत्रों और अंकसूचियों की **स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जाँच की जायेगी।**

14. दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, किन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कुछ दस्तावेजों के मूल प्रति का अवलोकन तत्समय नहीं कराया गया। वर्तमान में प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के आधार पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार हेतु अर्हता/अनर्हता संबंधी प्रारंभिक सूची तैयार की गई है।

अतः समस्त संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत उक्त स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र/अभिलेख/दस्तावेज तथा दावा-आपत्ति के दौरान ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/अभिलेख/दस्तावेज के आधार पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/चयन होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की तत्समय मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता, शुद्धता एवं प्रमाणिकता संदिग्ध अथवा उक्त का संबंधित जारी संस्था/विभाग से सत्यापन के दौरान असत्य पाई जाती है, तो विज्ञापन की कंडिका-1 "महत्वपूर्ण टीप" के उप बिन्दु क्रमांक-09 में उल्लेखित प्रावधानों एवं शासन के समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त प्रावधान परीक्षा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी प्रभावशील रहेंगे। यहां तक कि नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात भी यदि प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता, शुद्धता एवं प्रमाणिकता सही नहीं पाई जाती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/चयन तथा नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला दावा-आपत्ति का प्रारूप

मैं अपने प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरण सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ:

क्र.	विवरण	अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए
1	अर्हता/अनर्हता संबंधी प्रकाशित प्रारंभिक सूची में अभ्यर्थी का सरल क्रमांक	
2	आवेदन क्रमांक / रोल नंबर	
3	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिंदी में)	
4	अभ्यर्थी का पूरा नाम (ENGLISH CAPITAL LETTERS)	
5	पिता/पति/अभिभावक का नाम	
6	विज्ञापित पद का नाम	सहायक ग्रेड - 03
7	आरक्षित वर्ग/श्रेणी (यदि लागू हो)	
8	मोबाइल नंबर	
9	ई-मेल आईडी	
10	प्रकाशित सूची में अंकित स्थिति	☐ अर्ह ☐ अनर्ह
11	अनर्हता का उल्लेखित कारण	
12	आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित सुधार/निवेदन संबंधी विस्तृत विवरण	
13	संलग्न दस्तावेजों की सूची (दस्तावेज का नाम एवं कुल पृष्ठ संख्या सहित)	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

टीप:- अभ्यर्थी उक्त प्रारूप को टंकित कर, आवश्यक विवरण की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं/करेंगे।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी मेरी जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सही है। दावा-आपत्ति के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं प्रस्तुत विवरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

मुझे ज्ञात है कि मेरी दावा-आपत्ति का परीक्षण मूल विज्ञापन क्रमांक 3486/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 07.03.2019 तथा उक्त विज्ञापन की निरंतरता में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 10791/छ.ग.वि.स./स्था./2019, दिनांक 22.10.2019 में निर्धारित शर्तों, भर्ती हेतु लागू नियमों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित निर्देशों एवं परिपत्रों, लागू आरक्षण प्रावधानों तथा स्वीकृत आरक्षण रोस्टर के अनुरूप, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी/सचिवालय द्वारा विज्ञापन की कंडिका-13 के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार किया जावेगा।

स्थान:.....

दिनांक:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम